1	2	3	4	5	6
21.	Uttar Pradesh	998986	540160	554980	461517
22.	West Bengal	37415	67378	95607	115670
23.	A and N Islands	—	—	73	257
24.	Arunachal Pradesh	2736	5921	13685	8865
25.	Chandigarh	NA	—	405	512
26.	D and N Haveli	NA	—	249	415
27.	Delhi	2561	2040	5027	3194
28.	Goa, Daman and Diu	5117	5259	6616	3703
29.	Lakshadweep	NA	—	312	301
30.	Mizoram	480	1712	1977	3516
31.	Pondicherry	272	2591	1971	1374
	All India :	2726747	2713418	3455447	2630553

Taking over of Management of Sugar Mills in Uttar Pradesh

7707. SHRI R.N. RAKESH : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the News-item appearing in the Financial Express dated 14th October, 1983 about taking over of Sugar Mills in U.P. and state :

(a) whether Government propose to take over Anand Nagar Sugar Mills, Khalilabad, Ganesh Sugar Mills, Basti of Swadeshi Mining and Manufacturing Company Limited in public interest ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) The Central Government has no proposal to take over either of the sugar mills.

(b) Does not arise.

तिगड़ीपुर गांव में अनुसूचित जातियों को पंचायती भूमि का वितरण

7708. श्री आर० एन० राकेश : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांव तिगड़ीपुर अलीपुर ब्लाक दिल्ली में कुल कितनी पंचायती भूमि को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित किया जायेगा ;

(ख) इसमें से भूमि के कितने क्षेत्रफल को खसरा संख्या (क्षेत्रफल सहित) वास्तव में वितरित किया गया, कितने व्यक्तियों को वितरित की गई

तथा उस भूमि का क्षेत्रफल(खसरा संख्या/क्षेत्रफल सहित) क्या है जिसे अभी वितरित किया जाना है तथा सुपात्र अभ्यर्थियों की संख्या क्या है, जिन्हें अभी भूमि देनी है ;

(ग) क्या पांच संयुक्त परिवारों में से प्रत्येक को दो एकड़ भूमि दी गई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उनसे किस अवधि तक फालतू भूमि को खाली करा लिया जाएगा ; और

(क)प्रत्येक व्यक्ति के कब्जे में फालतू भूमि का क्षेत्रफल (खसरा संख्या/क्षेत्रफल सहित) क्या है तथा यह किन-किन तिथियों से उनके कब्जे में है तथा उनके मामले में भूमि को खाली कराने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अलीपुर ब्लाक के तिगड़ीपुर गांव में ग्राम सभा के पास निहित भूमि का कुल क्षेत्र 426 बीघा है।

(ख) अगस्त, 1983 में 44 अनुसूचित जाति तथा भूमिहीन व्यक्तियों को 156.6 बिस्वा का क्षेत्र वितरित किया गया है। खसरा नं० तथा क्षेत्र के ब्यौरे सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या LT—8187/84] है। शेष क्षेत्र सीमांकनाधीन है तथा आवेदन जांचाधीन हैं।

(ग) संदर्भित क्षेत्र का आबंटन प्रधान ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर दिया था जो जांचाधीन है। जांच पूर्ण होने के उपरान्त ही भूमि को खाली करने की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(घ) जांच पूर्ण होने के बाद ही ठीक स्थिति स्पष्ट होगी।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में डबलरोटी कारखाने की स्थापना

7709. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर क्षेत्र में सरकार के माडर्न डबलरोटी के अपने कितने कारखाने हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में डबलरोटी का एक नया कारखाना स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इन्दौर में माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड—एक सरकारी कम्पनी का ब्रेड बनाने का एक यूनिट है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कोई नया ब्रेड बनाने का यूनिट लगाने का फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है।

12.00 hrs.

SHRI H.N. BAHUGUNA (Garhwal) : Mr. Speaker, Sir, I have to assert about my privilege motion.

अध्यक्ष महोदय : बहुगुणा जी, एक का जवाब तो आपको भिजवा दिया है और दूसरे का प्रतिउत्तर भेज रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जवाब पर भी प्रिब्लेज है। मिनिस्टर ने सरासर** बोला है। ओसवाल वूलन मिल्ज के नाम लाइसेंस है, ओसवाल वूलन मिल्स का एक डिपार्टमेंट बनाता है। इन्होंने जानबूझ कर फार-रीजन्ज-अदर-देन-स्टेट उसका लाइसेंस कन्टीन्यू किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले का जवाब भिजवाया है। आज दूसरा आया है, इसका भी मैं निराकरण करूंगा। अगर तसल्ली नहीं होगी तो मैं अपना निर्णय दूंगा।

**Expunged as ordered by the Chair.